आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ1( )विद्या सम्बल/ आकाशि /गे.फै./दिशा निर्देश /21 दिनांकः

प्राचार्य,
समस्त राजसेस अधीन महाविद्यालय

विषयः—विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु शिक्षक आमंत्रित करने हेतु।
संदर्भः—वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023

महोदय,

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि **"विद्या संबल योजना"** अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2024 जो भी पहले हो हेतु (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने की योजना है। योजनान्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार आमंत्रित शिक्षक के रूप में कार्य लेने की Enabling Scheme है। इस योजनान्तर्गत रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा विशेष/विषय विशेष में enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार आंकलन करते हुये आवश्यकतानुसार विद्या संवंल योजना में दी गई प्रक्रिया का पूर्ण पालना करते हुए आमंत्रित शिक्षक से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे—

1. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या संबंल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र दिनांक 07.08.2023 के बिंदु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन की जा सकेगी।
2. वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यतायें पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो को ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाये।
3. योजनान्तर्गत अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2024 जो भी पहले हो हेतु (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैकल्टी के रूप में प्रति कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जायेगा।

(प्रो टी.सी बैरवा)
आयुक्त ... (...)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Dr. Tara Chand Bairwa
Designation : Professor
Date: 2023.08.12 13:33:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4508345

संलग्न :—

1. वित्त विभाग का परिपत्र कमांक प.6(2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023
2. गैस्ट फैकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र।
3. पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड।
4. महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 कि संवंधित नियमों की प्रति।
5. गैस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने का प्रारूप।
6. प्रभारी अधिकारी आई.टी. सैल कृपया अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Dr. Tara Chand Bairwa
Designation : Professor
Date: 2023.08.12 13:33:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4508345

कार्यालय, प्राचार्य, राजसेस अधीन महाविद्यालय,............

क्रमांकः— दिनांकः—

नाम...

पता...

....

विषयः—विद्या संबल योजनान्तर्गत अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2024 जो भी पहले हो हेतु (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैकल्टी के रूप में प्रति कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित करने बाबत्।

संदर्भः— आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक ....दिनांक ....के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि विद्या संबल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय,................... में विषय..................... में प्रति कालांश मानदेय रू. 800/— पर अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2024 जो भी पहले हो (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) अध्यापन कार्य हेतु दिनांक .... से .... के मध्य उपस्थित होकर महाविद्यालय में अपने मूल दस्तावेजों की जॉच एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र **(100/— स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित किया हुआ)** उपरान्त अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त समझा जावेगा साथ ही समस्त दस्तावेजों के सही पाये जाने की स्थिति में ही आमंत्रण मान्य होगा।

प्राचार्य

राजसेस अधीन महाविद्यालय/नोडल महाविद्यालय

राजस्थान सरकार
शिक्षा–विभाग
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ1( )विद्या सम्बल/ आकाशि /गे.फै./दिशा निर्देश /21 दिनांकः

प्राचार्य ,
समस्त राजसेस अधीन महाविद्यालय

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित गैस्ट फैकल्टी के पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड।

महोदय,

विद्या संबंल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु पी.एच.डी. उपाधिधारकों के संबंध में निम्न प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जानी हैः–

दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एम.फिल/ पी.एच.डी हेतु पाठ्यक्रमो के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थानों के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधो/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पी.एच.डी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत् शर्तो को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगीः–

(a) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी.एच.डी प्रदान की गई हो,
(b) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।
(c) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।
(d) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये है जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुये हो।
(e) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियो/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।

उपरोक्त (a) से लेकर (e) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्यो/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण)) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

विद्या संबंल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रेस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है, तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमंत्रित करने है। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो पुनः विज्ञापन देने से पूर्व नोडल/जिला स्तरीय महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदन मंगवाकर विद्या संबंल का पैनल तैयार किया जाना है।

गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :–

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करें।सार्वजनिक सूचना प्रसारित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जानें है।
(B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालयों स्तर पर गठित समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जावें।
(C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायें, एक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।
(D) इस योजना के तहत आमंत्रित शिक्षक से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

पैनल का अनुमोदन संयुक्त निदेशक एच.आर.डी. की ई–मेल से ही किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Dr. Tara Chand Bairwa
Designation : Professor
Date: 2023.08.12 08:24:21 IST
Reason: Approved

संयुक्त निदेशक एच.आर.डी.
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref No. : 4506076